



राजस्थान सरकार

कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा) जिला परिषद, अलवर

क्रमांक:- ईएमआरएस/DLC/2025/1146-58

दिनांक:- 09.07.25

कार्यालय आदेश

श्रीमान् आयुक्त महोदय, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति के आदेश क्रमांक 100/2021-22 दिनांक 19.08.2024 की गाईडलाईन के बिन्दू संख्या 4.3 (a) के अनुसार अलवर जिले में संचालित एकलव्य मॉडल रेजिडेन्सियल स्कूल मल्लाणा (राजगढ़) तथा पाटन (रैणी) के प्रभावी संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु जिला स्तरीय समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

1. जिला कलक्टर, जिला अलवर	अध्यक्ष
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर	सदस्य
3. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा जिला अलवर	सदस्य
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला अलवर	सदस्य
5. उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जिला अलवर	सदस्य
6. पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी मल्लाणा, राजगढ़	मनोनीत सदस्य
7. पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी पाटन, रैणी	मनोनीत सदस्य
8. प्रधानाचार्य, ईएमआरएस मल्लाणा, राजगढ़	सदस्य सचिव
9. प्रधानाचार्य, ईएमआरएस पाटन, रैणी	सदस्य

साथ ही श्रीमान् आयुक्त महोदय, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति के आदेश क्रमांक 160/2021-22 दिनांक 01.05.2025 के परिशिष्ट-1 के बिन्दु संख्या 5 की अनुपालना में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मल्लाणा (राजगढ़) एवं पाटन (रैणी) हेतु क्रय सलाहकारी उप समिति का गठन प्रधानाध्यापक स्तर से किया जाना है। जिस हेतु क्रमशः पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी मल्लाणा (राजगढ़) एवं पाटन (रैणी) को समिति में सदस्य नियुक्त किया जाता है।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर, अलवर

क्रमांक:- ईएमआरएस/DLC/2025/1146-58

दिनांक:- 09.07.25

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. श्रीमान् आयुक्त, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, नई दिल्ली।
2. श्रीमान् आयुक्त महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
3. निजी सहायक, जिला कलक्टर अलवर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अलवर।
5. उक्त समिति सदस्य समस्त.....।
6. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Arti Shukla
Designation: Collector & District
Magistrate
Date: 2025.07.08 20:33:08 IST
Reason: Approved

